कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक–335 / रेनुकूट / 15–117 रेनुकूट,दिनांक,जुलाई, 25 ,2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
17 राणा प्रताप मार्ग
उ0प्र0 लखनऊ ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 127.1637 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भः– 1–क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर.ई.सी.) की बैठक दिनांक– 02.07.2019 की कार्यवाई (आर.ई.सी. एजेण्डा आईटम 39–2– यू.पी.)
2–भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी / यू.पी. / 02 / 31 / 2018 / एफ. सी. / 149 दिनांक– 04.07.2019
3– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या– 50 / 11–सी–एफ0पी0 / यू.पी. / Irrig / 20269 / 2016 लखनऊ दिनांक– 08 जुलाई, 2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर.ई.सी.) की बैठक दिनांक– 02.07. 2019 की कार्यवाई तथा संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें जिसके द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है । आर0ई0सी0 की बैठक दिनांक– 02.07.2019 का Decision निम्न प्रकार है

S.No.	क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर0ई0सी0) की बैठक दिनांक–02.07.2019 का Decision
1	2
(a)	Detailed compliance of the conditions/recommendation of the committee on different components of the Terms of Reference for transfer of Forest land to the Irrigation Department for purpose of said Irrigation Project have not been submitted by the state government as well as Project Proponent.
(b)	Proposal of Compensatory Afforestation on equivalent Non-Forest land against diversion of proposed 127.1637 ha of forest land for canals and subsidiary canals have been submitted by the state government . However, Compliance on issues regarding raising CA on balance 1295 hectare and enrichment planting as recommended by Committee with reference to the order of Hon'ble NGT regarding above said Irrigation project is still awaited. In view of this the Proposal is deferred for the next meeting.

2– यहाँ यह उल्लेख करना है कि आर0ई0सी0 की उक्त बैठक दिनांक– 02.07.2019 कि बिन्दु संख्या– (बी) में उल्लिखित विवरण के अनुसार 1295 हे0 enrichment planting हेतु धनराशि जमा कराते हुए अनुपालन आख्या प्रेषित किया जाना है । एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उक्त 1295 अर्थात 1300 हे0 में 800 हे0 रेनुकूट वन प्रभाग में तथा 500 हे0 ओबरा वन प्रभाग में enrichment planting हेतु धनराशि जमा कराया जाना है । जमा की जाने वाली धनराशि संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन , वन अनुभाग–3 के आदेश संख्या–83 / 14–3–808 / 79 दिनांक– 27 फरवरी 1982 द्वारा कनहर परियोजना को हस्तान्तरित 2422.593 एकड़(980.40 हे0) से संबंधित है ।

3– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा वानिकी कार्यो हेतु अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 2912 / मीरजापुर / 7–7(15) दिनांक– 27.12.2017 द्वारा श्रमिको की मजदूरी दर रू0 175 / – प्रति मानव दिवस के आधार पर जारी अनुसूचित दरो के आधार पर प्रभाग द्वारा तैयार किये गये 10 वर्षीय योजना के अनुसार 1(एक) हे0 क्षेत्र में वनीकरण कार्य हेतु रू0 1,93,100.00 का व्यय अनुमान निर्धारित किया गया है ।

4– उक्त व्यय अनुमान के आधार पर रेनुकूट वन प्रभाग हेतु निर्धारित 800 हे0 के लिए रू0 1,93,100 / – प्रति हे0 के अनुसार रू0 15,44,00,000 / –(पन्द्रह करोड़ चौवालिस लाख मात्र) तथा ओबरा वन प्रभाग हेतु निर्धारित 500 हे0 के लिए रू0 1,93,100 / – प्रति हे0 के अनुसार रू0 9,65,50,000 / –(नौ करोड़ पैसठ लाख पचास हजार मात्र) कुल रू0 15,44,00,000 + रू0 9,65,50,000 = रू0 25,09,50,000 / –**(पच्चीस करोड़ नौ लाख पचास हजार मात्र)**

5– संदर्भित आदेश में यह उल्लेख नही किया गया है कि निर्धारित धनराशि किस फण्ड में जमा कराया जाना है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभाग स्तर से निर्धारित धनराशि कैम्पा फण्ड में जमा कराया जाना है, या प्रभाग के एफ0डी0मद में जमा कराते हुए मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर के स्तर से डी0सी0एल0 प्राप्त करते हुए enrichment planting पर व्यय किया जाना है ।

भवदीय

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

335
संख्या– अ / सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ।

2–प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र को संदर्भित पत्र छाया प्रति संलग्न सहित सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप अपने प्रभाग के अन्तर्गत 500 हे0 अवनत वन भूमि पर enrichment planting करने हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों का पूर्ण विवरण सर्कुलर जी0पी0एस0 रीडिंग , टोपोशीट सहित यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रश्नगत प्रकरण में अनुपालन आख्या उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित किया जा सकें । उक्त निर्धारित धनराशि जमा कराये जाने के संबंध में उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त होने पर अवगत कराया जायेगा ।

2–अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय , पिपरी–सोनभद्र ।

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट